

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर/एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/
ज्वाइन्ट कमिशनर(वि0अनु0शा0/ डिप्टी कमिशनर/
असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम -49 के उप नियम (15) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उप नियम (1) में निर्धारित श्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण पत्र (फार्म-31) वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करने हेतु एतद्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

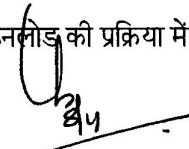
टी0डी0एस0 कटौती कर्ता द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया -

- 1- टी0डी0एस0 की कटौती करने के लिये उत्तरदायी कम्पनियों व केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों / उपक्रमों को इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु विभाग की वेबसाइट <http://comtaxup.nic.in> पर यूजर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिये विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर रजिस्ट्रेशन फार्म को वेबसाइट पर ही भरकर उसका प्रिन्ट आउट निकाला जाएगा। तत्पश्चात उसपर हस्ताक्षर करके उसे कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 2- उक्त आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु वही व्यक्ति अधिकृत होगा जो सम्बन्धित कंपनी द्वारा विभाग में दाखिल किये गये फार्म -7 व 8 पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया गया हो अथवा सरकारी विभाग / उपक्रम का कार्यालयाध्यक्ष अथवा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।
- 3- आवेदन पत्र में कंपनी / सरकारी विभाग / उपक्रम द्वारा अपना ई-मेल आई0डी0 दिया जाना आवश्यक होगा क्योंकि इसी ई-मेल आई0डी0 पर कम्प्यूटर जनित पासवर्ड प्रेषित किया जायेगा।
- 4- पासवर्ड प्राप्त हो जाने के पश्चात इस पासवर्ड का उपयोग करते हुये तथा यूजर आई0डी0 के रूप में टिन नम्बर / टी0डी0एन0 नम्बर का उपयोग करते हुये फार्म-31 डाउनलोड किया जा सकेगा। फार्म-31 डाउनलोड करने के पहले इसके सभी कालमों को भरा जाना आवश्यक होगा।
- 5- यह व्यवस्था 30 जून, 2011 तक ऐच्छिक रहेगी तथा इसके पश्चात फार्म-31 वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना अनिवार्य होगा। इस तिथि के पश्चात कार्यालय से मैनुअली प्राप्त किये गये फार्म-31 पर जारी टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

विभाग द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया -

- 1- आवेदक द्वारा कर निर्धारण कार्यालय में प्रस्तुत किये गये यूजर रजिस्ट्रेशन फार्म के प्रिन्ट आउट को कर निर्धारक अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त जोन में फार्म -38 के डाउनलोड हेतु नामित विभागीय एडमिनिस्ट्रेटर (नोडल अफसर) को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2- विभागीय एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अपने यूजर लागिन तथा पासवर्ड से विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदक को फार्म-31 डाउनलोड करने की सुविधा एक्टिवेट कर दी जायेगी। इसके तत्काल बाद स्वतः ही कम्प्यूटर जनित पासवर्ड व्यापारी के ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित हो जायेगा।

कृपया इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें तथा डाउनलोड की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आने पर उसका निराकरण कराना भी सुनिश्चित करें।


(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर 30प्र0
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2/(अपील)वाणिज्य कर 30प्र0।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर/(कार्यपालक)/ अपील/उच्च न्यायालय कार्य / सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर 30प्र0।
6. प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
7. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकर 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
10. विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
11. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
12. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ
14. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्डो 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17, गोमती नगर, लखनऊ
16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडो 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंडो, ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
18. आल इंडिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट सं0-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंडो एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
20. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से।
21. उत्तर-प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
22. शिव कुमार रोडा, एडवोकेट, महासचिव, उर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
23. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
24. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद।
25. श्री मदनमोहन भारतीय, एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
26. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

27. प्रो०श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
28. श्री बी० एन० राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी० टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी ।
29. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी ।
30. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FITA) 77/3 ए एन०के०जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
31. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर ।
32. श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि०), पुलदाल मंडी, सहारनपुर ।
33. श्री आर० डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
34. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
35. इन्डियन इंडोएसो०, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
36. संयोजक, टैक्सेशियों एक्कैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो० वेस्टर्न यू०पी०(रजि०) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
37. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
38. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 50-बी, उद्योग नगर, कानपुर ।
39. श्री अनिल कुमार बंसल, दि० यू०पी० रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो०-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
40. श्री दिनेश अरोरा, उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो०, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर ।
41. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ०प्र० टेट व्यापार एसो० 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ।
42. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी०) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
43. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
44. श्री गोपाल अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।
45. श्री दिनेश चन्द्र, उपाध्यक्ष, उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी०एन०रोड, अमीनाबाद, लखनऊ ।
46. अध्यक्ष, आई०आई०ए० इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ ।
47. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
48. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी०) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
49. समस्त अनुभाग / अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय-लखनऊ ।
50. सचलदल अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।



(एम०के० श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल/ फार्म) वाणिज्यकर,
मुख्यालय, लखनऊ ।